# कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद (छ0ग0)

## विज्ञापन

महासमुंद, दिनांक .......................... 2017

**आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 10/04/2017 संध्या 5.00 बजे तक**

महासमुंद न्यायिक जिला स्थापना के अन्तर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर (हिन्दी एवं अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड–3 के निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

### रिक्त पदों का विवरण

| पदों का विवरण | सामान्य | | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | | | अनुसूचित जाति | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मु. | म. | शावि | भू.पू.सै | मु. | म. | शावि | भू.पू.सै | मु. | म. | शावि | भू.पू.सै | मु. | म. | शावि | भू.पू.सै | |
| स्टेनोग्राफर (हिन्दी) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 |
| स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| सहायक ग्रेड–तीन | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| **महायोग** | **5** | **1** | - | - | **1** | - | - | - | **1** | - | - | - | **4** | **2** | **1** | **1** | **16** |

### भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

**(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद के लिए –**

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 2800/–

ब– **शैक्षणिक योग्यता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।

2 छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा **हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण** करने का प्रमाण पत्र।

3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर में स्नातक डिप्लोमा [DCA]

**(2) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के पद के लिए –**

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 2800/–

ब– **शैक्षणिक योग्यता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा **अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण** करने का प्रमाण पत्र।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर में स्नातक डिप्लोमा [DCA]

**(3) सहायक ग्रेड–3 के पद के लिए –**

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 1900/–

ब– **शैक्षणिक योग्यता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर में स्नातक डिप्लोमा [DCA]

**या**

छ0ग0 शासन तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी कम्प्यूटर विषय में परीक्षा उर्तीण प्रमाण पत्र –

(अ) कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट – एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त आई. टी. आई. से ।

(ब) प्रदेश के पॉलीटेकनिक से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट या कम्प्यूटर साईस या ईन्फर्मेशन टेक्नालॉजी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष डिप्लोमा।

(स) पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर/गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय से एक वर्षीय DCA या समकक्ष डिप्लोमा।

**महत्वपूर्ण** – यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्हत मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हत पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जाएगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीद्वारों की तुलना में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं ।

किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीद्वारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

## आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी।

(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) दिनांक 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गयी हो, परन्तु 40 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो।

**(3) उच्चतम आयु सीमा में छूट :–**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:–

3 (एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3 (एक)(2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3 (एक)(3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक)(4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण** :– छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

3 (एक)(5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 (एक)(6)– महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

(एक)(7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ.1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3 (एक)(8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 (एक)(9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3 (दो)(1)– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3 (दो)(2)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी. 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (दो)(3)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :– (1) बिन्दु कमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु कमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों को आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

<u>**उदाहरण**</u> :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ ग्रीन कार्डधारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। ग्रीन कार्ड अथवा अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक हों, तो उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ावर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए 2 वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

## <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया:–</u>

1. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेगें। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 10/04/2017 की संध्या 05.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद (पद का नाम) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द (छ.ग.) पिन कोड नं. 493445 मे रजिस्ट्रर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 10/04/2017 की संध्या 05.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी आदि से संबधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित (SELF ATTESTED) प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुन्द की वेबसाईट <u>www.ecorts.gov.in/mahasamund</u> से डाउनलोड की जा सकती है।

2. जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है, उन्हें अपने नियुक्त्ति विभाग प्रमुख द्वारा प्रदस्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पत्र लिखे हुए दो लिफाफे पर 5/– रू. की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि आवेदक द्वारा टिकिट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नही होने की जवाबदारी कार्यालय की नही होगी।
5. आवेदक यदि अंग्रेजी/हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड–तीन के सभी या कोई दो पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
6. विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. लिखित परीक्षा जांच पश्चात अर्हताधारी अभ्यार्थियों को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक सूचना दी जावेगीं जिन उपयुक्त आवेदकों को कौशल परीक्षा तिथि के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वे जिला न्यायालय की वेबसाईट www.ecorts.gov.in/mahasamund से अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउन लोड कर आई.डी.प्रुफ(पहचान पत्र) यथा ड्रायविंग लाईसेंस/वोटर आई.डी.कार्ड/आधार कार्ड/पेन कार्ड/स्मार्ट कार्ड सहित उपस्थित होगें। यदि उनकी उम्मीदवारी सही पाई गई तो कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

## अपुर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेग।

## चयन प्रकिया

### स्टेनोग्राफर हिन्दी/अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड–तीन के रिक्त पदो हेतु–

1– उपरोक्त पदों के चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से तीन गुना से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द (छ.ग.) के द्वारा आयोजित की जा सकेगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों पर तीन गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जायेंगें। लिखित परीक्षा में अंतिम कमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीद्वारों की संख्या एक से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीद्वारों की संख्या

3:1 से कम या अधिक हो सकती है। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीद्वारों की छंटनी के लिए होगी। कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी, और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीद्वार की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

2— समान अंक प्राप्त होने पर स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय जायेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

3— चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द (छ.ग.) को होगा।

4— चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5— चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया हो। जिला चिकित्सालय महासमुंद, चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जायेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण—पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 रायपुर से कराये जाने पर विपरीत टीप होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा।

6— चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी।

7— चयन प्रकिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद छ0ग0 का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

8— चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

9— चुने गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति सिविल जिला महासमुंद के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अनुभाग में की जा सकती है तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।

## नियुक्ति हेतु चयन विधि

### (1) प्रथम भाग — लिखित परीक्षा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद छ0ग0 द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1—1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प दिये गये होंगे, जिसमें से केवल एक विकल्प सही होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होगें। उक्त परीक्षा की अवधि केवल एक घंटे की होगी।

## (2) द्वितीय भाग – कौशल परीक्षा

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम में रिक्त पदों के 03 गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड–03 के पद के संबंध में हिन्दी/अंग्रेजी, शीघ्र लेखन एवं कम्प्युटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा, लेकिन विज्ञापित पद के लिए प्राप्त आवेदन या लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या कम होने पर या लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 3 : 1 से कम या अधिक हो सकती है। 02 उम्मीदवारों द्वारा समान अंक अर्जित करने की दशा में प्रथमतः अधिक आयु वर्ग वाले को वरीयता दी जावेगी, यदि आयु भी समान होगी तो प्रथम भाग लिखित परीक्षा, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरिष्ठता दी जायेगी।

**स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) के पद हेतु :–**

स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी/अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधिक में शुद्धता से कम्प्यूटर से टाईप करना होगा।

**कौशल परीक्षा** – **40 अंक**
**साक्षात्कार** – **10 अंक**

**सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु :–**

इस पद हेतु उम्मीदवार को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट की समयावधि के कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

**कौशल परीक्षा** – **40 अंक**
**साक्षात्कार** – **10 अंक**

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड–3 दोनों पदों के लिए आवेदन दिया है तो ऐसे अभ्यर्थी का एक ही बार लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा लिया जावेगा जो दोनों पदों के लिए मान्य होगा। लिखित परीक्षा का अंक कौशल परीक्षा में नही जोड़ा जायेगा। कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर योग्य उम्मीद्वार की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। परन्तु ऐसे उम्मीदवारों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी की ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

## अन्य आवश्यक सूचना

1. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
2. जिन उम्मीदवारों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की छंटाई के पश्चात् आवेदकों को रोल नम्बर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची परीक्षा की तिथि एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द की वेबसाईट www.ecorts.gov.in/mahasamund पर अपलोड किया जावेगा तथा अपलोड किये जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जावेगी। जिला न्यायालय महासमुन्द् के नोटिस बोर्ड पर भी योग्य उम्मीद्वारों की सूची चस्पा की जावेगी तथा वेबसाईट में भी दिया जावेगा। उम्मीद्वार वेबसाइट से अपने रोल नम्बर डाउनलोड कर सकेंगे।
3. यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।

डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त हाने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

7/3/2017

जिला एवं सत्र न्यायालय,
महासमुन्द (छ.ग.)

# आवेदन पत्र का प्रारूप
## (स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड–तीन के पदों पर नियुक्ति हेतु)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
महासमुन्द (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम

2. आवेदक का पूरा पता (हिन्दी में)

(Applicants Name in English Block Letters)

3. लिंग– (√ अंकित करें) पुरूष ☐ महिला ☐

4. पिता/पति का नाम

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता

(ब) स्थायी पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो तो "तदैव" लिखें)

6. (अ) जन्म तिथि अंकों में दिन / माह / वर्ष

| दिन | | माह | | वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

शब्दों में जन्मतिथि

(ब) दिनांक 01/01/2017 को आयु वर्ष / माह / दिन

| वर्ष | | माह | | दिन | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

7. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है ? (जो लागू न हो उसे Ø काट दें) हां | नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? (जो लागू न हो उसे Ø काट दें) हां | नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें ।

(जो लागू न हो उसे Ø काट दें) अ.जा. | अ.ज.जा | अ.पि.व.

10. क्या आवेदक विकलांग है ? (यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें ।)

(जो लागू न हो उसे Ø काट दें) | हां | नहीं |

11. यदि विकलांग है तो — विकलांगता का प्रकार | | | | | | | | — प्रतिशत | | |

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? (जो लागू न हो उसे Ø काट दें) | हां | नहीं |
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक दिनांक | | | | | | | | | | |

14. रोजगार कार्यालय का नाम | | | | | | | | | | |

15. क्या आप विवाहित है ? (जो लागू न हो उसे Ø काट दें) | हां | नहीं |

16. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि | | | | | | |

17. जीवित बच्चों की संख्या ------------------------------------------------> | | |

| कमांक | बच्चे का नाम | लिंग (स्त्री/पुरूष) | बच्चे की जन्मतिथि |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

| कं. | परीक्षा का नाम | | उत्तीण होने का वर्ष | बोर्ड/वि.वि.का नाम | विषय | प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्नातक | | | | | |
| 2 | कम्प्युटर | | | | | |
| 3 | टायपिंग | | | | | |
| 4 | स्टेनोग्राफी | | | | | |
| 5 | अन्य | | | | | |

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? (जो लागू न हो उसे Ø काट दें) | हां | नहीं |
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।)

20. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................

## घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक ................................
स्थान ..................................

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता